सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 196/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :– 20.09.2024

1. विक्रम कक्कड आ0 श्री गिरिराज जाति खत्री (पंजाबी) निवासी कुन्हाडी, कोटा जिला कोटा।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थीगण :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थीगण :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 28/11/2024

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि ग्राम ओवण नया पटवार मण्डल ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 455 की खसरा संख्या 2930 रकबा 0.4047 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार कृषक है। प्रार्थी की भूमि पर पहुॅचने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी के भूमि के पूर्वी ओर आम सडक एवं सिवायचक भूमि है। सिवायचक भूमि का टुकडा खसरा संख्या 2413 है प्रार्थी को अपनी भूमि पर पहुॅचने के लिए खसरा संख्या 2413 में से 120 फुट चौडे रास्ते की आवश्यकता है। खसरा संख्या 2413 सरकारी भूमि है, इसके लिए रास्ता घोषित करने हेतु कई बार राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क किया और उनसे निवेदन किया लेकिन उन्होंने रास्ता घोषित करने से ऐतराज किया और निर्देश दिए कि प्रार्थी न्यायालय से अपना रास्ता घोषित करवावे। प्रार्थी को भूमि खसरा संख्या 2413 में से 120 फुट रास्ते की आवश्यकता है इसमें जो भी सरकारी शुल्क या भूमि का शुल्क या अन्य शुल्क जो भी देय होगा उसे प्रार्थी अदा करने को तैयार है। प्रार्थी ने विपक्षी से अंतिम बार 12.09.2024 को रास्ता घोषित करने व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अमल करने के लिए कहा लेकिन इंकार हो गये, यही वाद का कारण है। वाद का कारण अंतिम बार 12.09.2024 को रास्ता कायम करने से इंकार करने पर लगातार उत्पन्न हो रहा है, प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। ग्राम ओवण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है, अतः श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थन पत्र अचित कोर्ट फीस व उचित तलबाने के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर पहुॅचने के लिए सडक से प्रार्थी के खेत तक खसरा संख्या 2413 में से 120 फुट रास्ता घोषित किये जाने की आज्ञा प्रदान करें तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन फरमाया जाने की आज्ञा प्रदान करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकार हो प्रार्थी को दी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि संख्या 2930 में आने–जाने हेतु राजकीय सिवायचक खसरा संख्या 2413 में से रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु वाके ग्राम ओवण पटवार मण्डल मेण्डी के खसरा संख्या 2413 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की भूमि तक आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमियों में आने–जाने हेतु वास्तविक आवश्यकता है। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 455 खसरा संख्या 2930/2739 में जाने हेतु वाके ग्राम ओवण पटवार मण्डल ओवण में पहुचने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम ओवण के खसरा नम्बर 2413 राजकीय सिवायचक भूमि में से 11 मीटर लम्बा (36.08 फीट) व 04 मीटर चौडा (13.12 फीट) रास्ते में कुल (0.0044 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली की मुताबिक गणना टी0आर0ए0 के डीएलसी राशि 3619237/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 2413 में से रकबा 0.0044 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 15925/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 31850/रू– का भुगतान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

सम्बन्धित राजकीय मद में जमा करवाने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 28.11.2024 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

28/11/2024

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)